

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
300/2025

दायर दिनांक  
24.05.2025

निर्णय दिनांक  
०४.०५.२०२५

1. गीता देवी पत्नी स्व. समर्थ लाल विश्नोई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।

— प्रार्थीया

बनाम

1. आशीष आत्मज चान्दमल विश्नोई निवासी जम्भेश्वर मन्दिर के पास विश्नोई मोहल्ला पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. अखिलेश आत्मज हीरालाल विश्नोई उम्र वयस्क, निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. गोगा देवी पत्नी लाला जी गाडरी निवासी बिलिया खुर्द, पुर रोड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)।

— विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी श्री राकेश जैन  
अप्रार्थी संख्या 01 से लगाकर 3 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला—भीलवाड़ा की सरहद में प्रार्थीया की कृषि आराजियात स्थित है जिसका विवरण आराजी संख्या 10886/8071 रकबा 0.2529 हेक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और प्रतिवादी के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 3 उपस्थित नहीं। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीया अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहती है। मेंनें प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीया आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला-भीलवाडा की आराजी संख्या 10886/8071 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, भूमि स्थित है। उक्त भूमि कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 08-07-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)  
अधिवक्ता  
भीलवाडा